18 फरवरी, 2018 को पटना में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, भारत क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष का समापन भाषण

- यह बड़े संतोष की बात है कि पिछले दो दिनों में हमने सम्मेलन के विषय पर सफलतापूर्वक विचार–विमर्श किया है। मैं इस विचार–विमर्श को जीवन्त और प्रासंगिक बनाने में आपकी सक्रिय भागीदारी और सार्थक योगदान के लिए आप सभी की सराहना करती हूं। मुझे आशा है कि पिछले दो दिनों में किया गया विचार–विमर्श भविष्य की चुनौतियों का सामना करने एवं नीति निर्माण के हमारे प्रयासों में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। मैं इस विचार–विमर्श में प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और उनकी प्रतिक्रिया से काफी उत्साहित हूं।

- बिहार के माननीय राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी भी यहां उपस्थित हैं। उनका लम्बा एवं गहन राजनीतिक अनुभव रहा है। वे जमीन से जुड़े, प्रगतिशील विचारधारा एवं अपने राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व हैं। अपने व्यस्ततम समय में से वे समय निकालकर यहां पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। मुझे विश्वास है कि प्रगति की राह पर अग्रसर बिहार राज्य की जनता उनके विशद अनुभवों से अवश्य लाभान्वित होगी।

- इस सम्मेलन का विषय "सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में संसद और सांसदों की भूमिका" अत्यन्त प्रासंगिक और सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में संसदें और सांसद अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- मित्रो, जैसाकि हम सब जानते हैं, संसदें समाज में परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम हैं। सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में, संसदें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पुष्टि करती हैं, Sustainable Development Goals (SDG) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाती हैं। उनके कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो।

- हमारी संसद ने यह सुनिश्चित किया है कि सतत् विकास प्राथमिकताएं राष्ट्रीय और स्थानीय बजटों में परिलक्षित हों और 2015 के बाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आबंटित किए जाएं।

- विशिष्ट प्रतिनिधिगण! हमारी संसद ने Sustainable Development Goals (SDG) को समझने की प्रक्रिया सितम्बर, 2015 में इन्हें औपचारिक रूप से स्वीकृत किए जाने के पहले से ही शुरू कर दी थी। जुलाई, 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने अध्यक्षीय शोध कदम (SRI) का उद्घाटन किया था तब से ही SDG वाद–विवाद के प्रमुख मुद्दों में से एक बना हुआ है। तत्पश्चात्, सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की कार्यसूची के विभिन्न पहलुओं से हमारे सांसदों को अवगत कराने के लिए अध्यक्षीय शोध कदम (SRI) के कार्यक्रम के भाग के रूप में अनेक कार्यशालायें आयोजित की गईं।

- मार्च, 2016 में नई दिल्ली में "महिला विधायकः सशक्त भारत का निर्माण" विषय पर महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना तथा उन क्षेत्रों का पता लगाना था, जिनमें महिला विधायक सामाजिक–आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक की भूमिका निभा सकती है।

- "महिला सांसद– सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक " विषय पर फरवरी, 2017 में इंदौर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद फोरम में वैश्विक विचार–विमर्श के दौरान हमने Sustainable Development Goals को परस्पर जोड़ने में पर्याप्त सफलता पाई।

- आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि SDG हमें लोगों के जीवन और विश्व की स्थिति को सुधारने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में, हममें से प्रत्येक से यह अपेक्षा की जाती है कि इन महत्वपूर्ण मसलों पर अग्रणी

भूमिका निभाएं। मार्च, 2013 में इक्वाडोर में आयोजित 128वीं आईपीयू असेम्बली में अंगीकृत "क्वीटो घोषणा (Quito Declaration)" में हमने SDG के क्रियान्वयन में केन्द्रीय भूमिका निभाने के अपने संकल्प को दोहराया था।

- मित्रो! मुख्य विषयवस्तु के दोनों विषयों अर्थात् "विकास के कार्यक्रम में संसद की भूमिका (Parliament's Role in development agenda'' तथा "विधायिका एवं न्यायपालिका–लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ (Legislature and Judiciary – two important pillars of democracy)' भी आज अत्यधिक महत्व रखते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हम इन विषयों पर इस सम्मेलन में गंभीरतापूर्वक चर्चाएं हुईं।

- Responsible, Inclusive, भागीदारीपूर्ण (Participative) तथा पारदर्शी (Transparent) प्रशासन सुनिश्चित करने में हम सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी के द्वारा हम विकास कार्य को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।

- एक सांसद के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान निर्माण तथा श्रेष्ठ संसदीय नियमों तथा पद्धतियों और प्रक्रियाओं को इस तरह संस्थागत किए जाने की जरूरत है जिससे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा उप–राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यों को करने में सुविधा हो तथा हमारे मतदाताओं का अधिक से अधिक कल्याण हो सके।

- दूसरा विषय "विधायिका एवं कार्यपालिका– लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ" बहुत लंबे समय से लंबित न्यायिक सुधारों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के दृष्टिगत बहुत प्रासंगिक है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अपने–अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं। राज्य के ये तीनों अंग एक–दूसरे के पूरक तथा संपूरक हैं क्योंकि ये तीनों ही लोगों की भलाई के लिए सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।

- हम सब जानते हैं कि संसद और न्यायपालिका का रिश्ता बहुत नाजुक एवं संवेदनशील होता है। संविधान में न्यायपालिका को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार है। हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के विभिन्न अंग संविधान के तंत्र के अंतर्गत निर्धारित संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही काम करें।

- **Sixth Patna CPA India region Conference में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि समसामयिक मुद्दों पर CPA, India Region के अंतर्गत गतिविधियां और कार्यक्रम बढ़ाया जाए ताकि हम अपने चार्टर के मुताबिक यथासंभव अपेक्षित कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित कर सकें। सम्मेलन में इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इसके लिए CPA India region Headquarters द्वारा सभी संभव सहयोग, मार्गदर्शन की पेशकश भी की गई।**

- **संसद सदस्यों को विभिन्न विषयों पर विशद जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से लोक सभा में Speaker Research Initiative (SRI) की स्थापना 23 जुलाई 2015 को की गई थी। यह विषय विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी के सदस्यों एवं academicians से अंतरसंवाद स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न नीति से जुड़े मुद्दों पर एक साथ मिल बैठकर चर्चा करने हेतु मंच उपलब्ध कराता है। SRI आवश्यकतानुसार सभी राज्य शाखाओं को भी ऐसी सेवाएं एवं सहयोग प्रदान कर सकता है।**

- **वर्ष 2016 में भारत की संसद ने नई दिल्ली में पहली बार 'National Women Legislator's Conference आयोजित की थी एवं इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में 10–11 मार्च 2018 को 'WE FOR DEVELOPMENT' विषय पर 'National Legislator's Conference' आयोजित की जा रही है।**

- मित्रो, इस सम्मेलन को शानदार एवं सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करने और यहां उपस्थित गण्यमान्य प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए

हम बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी; बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी; बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण; बिहार विधान सभा एवं सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य अभिकरणों (agencies) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करते हैं। मैं उन सभी गण्यमान्य प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करती हूं जिनकी चर्चा में भागीदारों से हम सभी का यहां ज्ञानवर्द्धन हुआ है।

- मैं लोक सभा और राज्य सभा के महासचिवों एवं वहां के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का इस आयोजन को सार्थक बनाने में उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करती हूं।

धन्यवाद।